International Indexed & Refferred Research Journal, ISSN-2250-2599; Vol. I* ISSUE -1 Oct., 2012
शोध पत्र- पुस्तकाल्य विज्ञान

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की उपयोगिता का मूल्यांकन

* अश्विनी कुमार

स्वतन्त्रता के बाद अनेक सगठनों के आन्दोलनों द्वारा, नागरिकों, विद्वानों, शिक्षाशास्त्रीयों द्वारा समय–समय पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप 12 अक्तुबर 2005 को महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने की स्थापना के उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया। वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के लगभग 55 विकसित एवं विकासशील देशों ने सूचना के अधिकार सम्बन्धी जैसे कानून निर्मित कर लिए है। हमारी न्याय पालिका ने समय–समय पर अपने कई निर्णयों के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 19(1) व 21 के व्यापक दृष्टि कोण को ध्यमान में रखने सूचना का अधिकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा जीवन के अधिकार का ही अंग है।

भारत में आजादी के बाद लोक तान्त्रिक सरकार की स्थापना की गई है। लोकतान्त्रिक शासन में जनता केक निर्वाचित प्रति निधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तथा अनेक प्रकार की विकास योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन सब से सम्बन्धित जानकारी हेतु एवं सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया है। जिससे नागरिकों को उनके लिए निर्मित योजनाओं के लाभों का पता चल सके।

इस अधिनियम में उन सभी प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जिसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी संगठनों से उस की नितियों तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है। धारा 6 में स्पष्ट है कि किस प्रकार किसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है। उसको सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क राशि तो अदा करनी होती है। हरियाणा में शुल्क राशि 50–/ रूपयें जब की केन्द्र में आवेदन करने का शुल्क 10–/ रूपये है।

हरियाणा में कोई भी व्यक्ति फार्म 'ए' को भर कर या प्रार्थना–पत्र लिख कर सम्बन्धित विभाग से जन सूचना अधिकारी से किसी विभाग के सम्बन्ध में किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी उस विभाग द्वारा 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाएगा या जीवन या स्वतन्ता से सम्बन्धित जानकारी 48 घण्टों में तथा तीसरे पक्ष में है तो 40 दिनों में दी जाएगी।

क्रमांक	सूचना का अधिकार	अवधि
1.	साधारण सूचना	30 दिन
2.	जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित	48 घण्टे
3.	तृतीय पक्ष	40 दिन
4.	मानव अधिकार के हनन से सम्बन्धी	45 दिन

अपील:–

अगर मांगी सूचना समय पर नहीं मिलती है या गलत मिलती है तथा अधुरी मिलती है तो आप उस विभाग के प्रथम अपिलिय अधिकारी से अपील कर सकते है। इसे प्रथम अपील कहते है। यदि आप पहली अपील से सन्तुष्ट नहीं है तो पहली अपील के फैसले के 90 दिन तक आप अपील कर सकते है। धारा 19 में इस का पूर्ण वर्णन है। प्रथम अपील या द्वितीय अपील के लिए कोई शुल्क नहीं है।

यदि आपने राज्य सरकार के किसी विभाग या निकाय के पास सूचना के लिए आवेदन किया है। तो आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील जमा करें। यदि सूचना केन्द्रीय सरकार से है। तो केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग से प्राप्त होगी। द्वितीय अपील करते समय सूचना आयोग द्वारा बनाई गई नियमावली को ध्यान में रखा जाता है। राज्य सूचना आयोग के लिए हर राज्य ने अपनी नियमावली बनाई हुई है। जो की केन्द्र में भी इसी प्रकार से है।

अपील के माध्यम से क्या कार्यवाही चाहते है। यह अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए।

दण्ड का प्रावधान :–

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 20 में इस अधिनियम के तहत यदि मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने या गलत या पूर्ण सूचना न देने की सूरत में दण्ड का प्रावधान भी है। जो इस प्रकार से है :–

1 यदि कोई जनसूचना अधिकारी जानबूझकर किसी सूचना को प्रदान करने में आनाकानी करता है या अधुरी, गलत, भ्रमित सूचना प्रदान करता है तो उसे 250–/ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 25000–/ रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

2 यदि कोई जनसूचना अधिकारी सरकार द्वारा लगाई गई रोक वाली सूचना की जानकारी प्रदान कराता है (जैसे अखण्डता सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, विदेशी समझौते तथा सेना सम्बन्धी गुप्त दस्तावेज) तो उस अधिकारी तथा सूचना मांगने वाले व्यक्ति पर आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है।

लोक अधिकारियों का दायित्व :–

इस अधिनियम की धारा 4 के तहत इस अधिनियम को लागू होने के एक निश्चित समय सीमा के अन्दर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने सारे रिकार्डे को सूचीबद्ध करके क्रम मे रखेगा तथा उचित साधनों द्वारा सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी इस अधिनियम को लागू होने के 120 दिनों के अन्दर अपने विभाग के बारें में निम्नलिखित सूचनाएं

सार्वजनिक करेगा :–

1 सूचनाओं को इन्टरनेट के माध्यम से सार्वजनिक करने के प्रयास।
2 दस्तावेजों के वर्गीकरण की सूची।
3 बजट विभाग सम्बन्धित जानकारी।
4 सरकार द्वारा बनाई गई निति व अन्य योजना के बारे में जानकारी।
5 अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची।
6 निति–निर्माण की प्रक्रिया तथा जवाबदेही।
7 अपने संगठन की व्यवस्था कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण।
8 किसी भी व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित मांगी गई सूचना देना।

इस प्रकार से सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अनुसार यह पुख्ता प्रबन्ध किये जाते है कि सभी नागरिकों को शासन एवं प्रशासन के सम्बन्ध में तथा ग्राम स्तर पर सूचना बिना किसी देरी से मिल सके।

*** सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, छोटूराम किसान कॉलेज, जीन्द**

संदर्भ ग्रंथ

1 बारोवालिया, जे.एन., कमेन्ट्री ऑन राईट टू इन्फारमेशन एक्ट, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2007 , पृष्ठ 42
2 वही, पृष्ठ–759
3 इण्डिया पोस्ट, सूचना के अधिकार पर केन्द्रित पाक्षिक, रोहतक, अक्तुबर 2007, पृष्ठ–3
4 राजगाढ़िया विष्णु एवं केजरीवाल, अरविन्द, सूचना का अधिकार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ–105
5 अरोडा, कृष्ण, सैण्ट्रल सिविल एक्ट, प्रौफेशनल बुक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ–1438
6 वही, पृष्ठ–1441
7 इण्डिया पोस्ट, सूचना के अधिकार पर केन्द्रित पाक्षिक, रोहतक, अक्तुबर 2007, पृष्ठ–5
8 बारोवालिया, जे.एन., कमेन्ट्री ऑन राईट टू इन्फारमेशन एक्ट, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2007, पृष्ठ–96
9 वही, पृष्ठ–45
10 चौहान, शरद, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दी बाईट लॉ हाऊस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–112
11 राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट, 2005, बेयर एक्ट, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2005, पृष्ठ–10
12 वही, पृष्ठ–11